राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2305/2016

राधेश्याम शर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक/आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, रिजनल आफिस भरतपुर।
4. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.07.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 10.06.2016 (अनुलग्नक–3) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा पेंशन विभाग द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित कर अपीलार्थी के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये है :–

> ''2. कर्मचारी की चयन तिथि 14.06.1985 है। अतः वित्त विभाग के आदेश दिनांक 18.11.2010 के अनुसार कर्मचारी को 27 वर्षीय एसीपी दिनांक 14.06.2012 से देय हैं, जबकि कर्मचारी को उक्त लाभ दिनांक 01.07.2007 से दिया गया है। अतः नियमों का पुनरावलोकन कर वेतन संशोधन कर, अधिक भुगतान की वसूली जमा करा कर तद्नुसार प्रकरण भिजवा दें।''

2. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी से उसकी सेवानिवृति से ठीक पूर्व वसूली किये जाने के आदेश दिये गये हैं, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी को उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया था, जो उचित था। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक 08.02.1980 मानते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया था, जो सही दिया गया था। पेंशन विभाग द्वारा अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक 08.02.1980 न मानकर दिनांक 14.06.1985 मानी जा रही है, जो उचित नहीं है और इस आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध गलत प्रकार से वसूली के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क रहा है कि आदेश दिनांक 05.03.1999 के द्वारा अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक 08.02.1980 से नियमित किया गया था। ऐसे में अपीलार्थी उसी दिनांक से

9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था, जो अपीलार्थी को सही प्रकार से प्रदान किया गया है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

5. अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थायीरूप से हुई थी और अपीलार्थी को उसकी अस्थायी नियुक्ति की दिनांक से प्रथम नियुक्ति मानकर चयनित वेतनमान के लाभ दिये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दूओं पर अपना निर्णय दिया है :–

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9,

18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह माना है कि तदर्थ नियुक्ति की दिनांक से दिये गये चयनित वेतनमान के लाभ की वसूली नहीं की जाए। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी को जो पूर्व में 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है, उसकी वसूली किया जाना उचित नहीं है।

7. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है एवं यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 10.06.2016 की पालना में अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं की जाए। उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

8. इस आदेश को पालना हेतु प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित किया जाए।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)